

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर  
पीठासीन अधिकारी :- श्री अनिल कुमार आर.ए.एस.  
राजस्व आवेदन संख्या - 79/2025  
उनवान

1. आदुसिंह पुत्र नरसिंहजाति  
राजपूत निवासी चाडार मदरूप  
तहसील रामसर।

बनाम

1. तहसीलदार रामसर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136-राज0मू0राज0 अधिनियम  
आदेश

दिनांक 18.02.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी आदुसिंह पुत्र नरसिंहजाति राजपूत निवासी चाडार मदरूप तहसील रामसर। का खातेदारी खेत खसरा नंबर 144/.37 रकबा कुल 2.9704 हेक्टैयर मौजा शोरे का तला पटवार मण्डल चाडार मदरूप में आये हुआ है। जिसमें सयुक्त खातेदारी में प्रार्थी का नाम आदुसिंह पुत्र नरसिंह जाति राजपूत निवासी चाडार मदरूप की जगह आईदानसिंह पुत्र नरसिंह जाति राजपूत भूलवंश संवहन से दर्ज हो गया। राजस्व रेकॉर्ड यथा जमाबंदी ऑनलाईन करते समय अतः राजस्व रेकॉर्ड में पुनः सही इद्रार्ज सही नाम आदुसिंह पुत्र नरसिंह जाति राजपूत करवाने का प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 18.02.2025 को प्रस्तुत किया गया। पत्रावली को अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं समस्त दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर प्रार्थी का खातेदारी खेत खसरा नंबर 144/.37 रकबा कुल 2.9704 हेक्टैयर मौजा शोरे का तला पटवार मण्डल चाडार मदरूप के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का आदुसिंह पुत्र नरसिंह नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार रामसर को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 18.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर  
किया गया।



(अनिल कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी, रामसर  
रामसर

दिनांक 18.02.2025

क्रमांक : रीडर/2025/ 142-43

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रामसर।

2. प्रार्थी आदुसिंह पुत्र नरसिंह।

उपखण्ड अधिकारी रामसर  
उपखण्ड अधिकारी  
रामसर